

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै0सेवा/2018

दिनांक- 01/08/2020

आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के अन्तर्गत श्री रामधन पोटलिया व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि छापडा - नागौर जिनकी जन्म तिथि:- 25.08.1976 ने दिनांक 15.06.2020 को आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 03.08.2020 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति चाही है ।

अतः श्री रामधन पोटलिया, व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि छापडा - नागौर को राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के प्रावधानान्तर्गत दिनांक 03.08.2020 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री रामधन पोटलिया के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।



(सौरभ स्वामी)


निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक- 01/08/2020

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै0सेवा निवृत्ति/2020/77
प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

1. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
3. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय मा.शि.
4. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को वैबसाईट पर अपलोड हेत
5. संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
6. प्रधानाचार्य, राउमावि छापडा - नागौर
7. श्री रामधन पोटलिया, व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि छापडा - नागौर
8. निजी एवं रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै0सेवा/2018

दिनांक- 01/08/2020

आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के अन्तर्गत श्री रतन लाल व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि रोजडी - श्रीगंगानगर जिनकी जन्म तिथि:- 04.03.1961 ने दिनांक 20.06.2020 को आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 01.10.2020 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति चाही है ।

अतः श्री रतन लाल, व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि रोजडी - श्रीगंगानगर को राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के प्रावधानान्तर्गत दिनांक 01.10.2020 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री रतन लाल के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।



(सौरभ स्वामी)

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक- 01/08/2020

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै0सेवा निवृत्ति/2020/76
प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

1. निदेशक, पेशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. संबधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
3. संबधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय मा.शि.
4. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को वैबसाइट पर अपलोड हेत
5. संबधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
6. प्रधानाचार्य, राउमावि रोजडी - श्रीगंगानगर
7. श्री रतन लाल, व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि रोजडी - श्रीगंगानगर
8. निजी एवं रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर